26/3/25 वकील प्रार्थी हाजिर। नाम मेयोग्य हाजिर। तहसील से रिपोर्ट प्राप्त नहीं। नकल-पत्रावली दिनांक 21-5-2025 को पेश हो।

21/5 बकुलाल फरीकैन हाजिर। तहसील से रिपोर्ट प्राप्त नहीं। नकल-पत्रावली दि. 7/7/25 को पेश हो।

7/7/25 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधि. हाजिर। RESPONDENT [illegible] की तरफ से अपील पत्र [illegible] 1/2025/781 [illegible] पेश की। [illegible] पत्रावली नस्थि [illegible] 15/7/25 को पेश हो।

15/7/25 वकील पक्षकारान हाजिर। श्रीमान एसडीएम साहब अवकाश/चुनाव/अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त हैं, पत्रावली दिनांक 18/7/25 को पेश हो।

18/7/25 बकुलाल फरीकैन हाजिर। अपना पक्ष पक्ष है अतः चाहिये पत्रावली वादि पक्ष दि. 23/7/25 को पेश हो।

23/7/25 बकुलाल फरीकैन हाजिर। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। नकल पक्ष व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार

नगर व ग्रामीण अधिकारी, को इस हुक्म की तामील में जारी हुए

हुक्म या कार्यवाही गय इनिशियल्स जज

राजस्व अपील प्राधिकारी के पत्रांक 1/2025/781 दि. 1/7/25 के अनुसार पार्टी पक्ष 4 [illegible] मौजे में 1/4 हिस्सा विवादित राज प्रताप आदि [illegible] का [illegible] है खातेदार दर्ज है [illegible] अपील के बाद विवादित रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थी के बाद में राजस्व रिकॉर्ड में पक्ष के नाम कोई त्रुटि नहीं है। प्रार्थी अपना नाम विवादित के स्थान पर बुकलाल दर्ज करवाना चाहता है इस बारे प्रार्थी ने कोई साक्ष्य अपने पक्ष में प्रस्तुत नहीं किया है। प्रमाण खारिज योग्य है। जवाब [illegible] ने अपने कथन में कोई विरोध प्रकट नहीं किया। उक्त तथ्यों को सिद्ध करने का भार वादी पर है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी ने अपने पक्ष कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। तहसीलदार अपीलीय प्राधिकारी की रिपोर्ट दि. 1/7/25 के अनुसार प्रार्थी का दावा खारिज किये जाने की अभिशंसा की है। अतः रिपोर्ट तहसीलदार दि. 1/7/25 व प्रार्थी के साक्ष्य के अभाव में प्रार्थी का दावा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.30 16:40:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner